छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –207 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2024-02342**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''अरिहंत सिटी'', प्रमोटर–श्री राजेश कुमार जैन, पता–ए–4, आर.एम.एस. कॉलोनी, टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''अरिहंत सिटी'' गोविन्दपुर, जिला–कांकेर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
15/04/2024	– प्रकरण प्रस्तुत । – भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''अरिहंत सिटी'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA240419000962** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत किया गया है। भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–4(2)(l)(D) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में आबंटितियों से प्राप्त राशि एवं उपयोग रेरा विनिर्दिष्ट खाते के माध्यम से नियमानुसार करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–06/रेरा/2018/158, दिनाँक 19.04.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे। जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रार, छ.ग. द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 30.01.2024 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुये रेरा विनिर्दिष्ट खाता का नियमानुसार संचालन नहीं किया जा रहा है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 11.03.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी अनुसार मार्च, 2024 तक प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के विकास कार्य की पूर्णता की स्थिति 61 प्रतिशत है। रेरा विनिर्दिष्ट खाता खोला गया, किन्तु रेरा प्रावधानों के अनुसार परिपालन नहीं किया गया। सी.ए. के प्रतिवेदन अनुसार अनावेदक द्वारा रेरा विनिर्दिष्ट खाता खोला गया है, परन्तु अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन करते समय बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं करा रहा है। अनावेदक	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –207 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2024-02342**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''अरिहंत सिटी'', प्रमोटर–श्री राजेश कुमार जैन, पता–ए–4, आर.एम.एस. कॉलोनी, टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''अरिहंत सिटी'' गोविन्दपुर, जिला–कांकेर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	द्वारा बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है और संशोधित एनेक्सर–05 प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अनावेदक द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–4(2)(l)(D) का उल्लंघन किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्राधिकरण द्वारा धारा–60 एवं 61 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनावेदक पर धारा–63 अंतर्गत रूपये 5,000/– की शास्ति अधिरोपित की जाती है। प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति राशि रूपये 5,000/– को अनावेदक द्वारा दिनाँक 16.04.2024 को चालान के माध्यम से निर्धारित शासकीय मद में जमा कर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मूल प्रति लेखा शाखा को प्रेषित कर प्रकरण में छायाप्रति संलग्न करे। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत अनावेदक को भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुये प्रकरण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	